इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 539

भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 सितम्बर 2018-आश्विन 7, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ ए 3-33/2018/1/पाँच (🞖 ६) राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

संशोधन

1. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूपों में, **प्ररूप जीएसटीआर-9क के पश्चात्**, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--

"प्ररूप जीएसटीआर-9ग

नियम 80(3) देखें

भाग क-समाधान विवरण

भाग. I		मूलभूत ब्यौरे			
1	वितीय वर्ष				
2	जीएसटीआईएन		**************************************		
3क	विधिक नाम	< स्वः	>	 	
	व्यापार नाम (यदि	<u> </u>		 ·	
3ख	कोई हो)	<स्व>			
			·····	 	

 	177				
4	क्या आप किसी अधिनियम के अधीन किसी संपरीक्षा के दायी हैं ?	<<कृप	ाया विनिर्दिष्ट	ट करें>>	
	(स	भी सारणि	यों में रकमं	ह्पए में)	
	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में घोषित आवर्त सहित वार्षिक संप	ारीक्षित वि	वेतीय विवर	ग में घे	षित
भाग. 🛚	आवर्त का समाधान				
5	सकल आवर्त का समाधान				
	राज्य/संघराज्यक्षेत्र के लिए संपरीक्षित वितीय विवरणों के अनुसार आवर्त	(जिसके			
क	अन्तर्गत निर्यात भी हैं) (उसी स्थायी लेखा संख्यांक के अधीन बहु-जीएसर्ट	आईएन			
	यूनिटों के लिए आवर्त वार्षिक संपरीक्षित वितीय विवरण से प्राप्त किया जा	एगा)			
ख	वितीय वर्ष के आरम्भ में बिना तैयार किए गए बिल का राजस्व	(+)			
ग	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर असमायोजित अग्रिम	(+)			
घ	अनुसूची-१ के अधीन समझा गया प्रदाय	(+)	: -;		
ङ	वितीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जारी साख पत्र, किन्त् जो	1			
5	वास्तविक रिटर्न में परिलक्षित हैं	(+)			
	व्यापार बट्टा, जिनका संपरीक्षित वार्षिक वितीय विवरण में लेखा				
च	जोखा दिया गया है, किंतु माल और सेवा कर के अधीन अन्जेय				
	नहीं है	(+)		-	
छ 🛭	अप्रैल, 2017 से जून, 2017 तक आवर्त	(-)			

	_ ~ ~ ~						
	नहीं है	अप्रैल, 2017 से जून, 201	र जरू भावर्त				
<u>छ</u>	3	मप्रल, 2017 स जून, 201 ममाप्ति पर बिना तैयार (न्तिया ज्ञापरा निया ज्ञाप विकास	ग गानम्त	(-)		
- -	विताय वर्ष का र	य वर्ष के आरम्भ में असर	पार गर ।बस पार पानोजिन भगिम	11 (10)(4	(-)		
झ		य वर्ष के आरम्भ में जस्व वितीय विवरण में लेखा-जें		गुपुत्र किल्त	(-)		
ਤ	वाषिक सपराक्षित	।वताय ।ववरण म लखा-ज ाल और सेवा कर के अधी	।खा ।दुए गए सार्थ ज अञ्चनेग नहीं है	1 77, 177 (3	(-)		
							·····
7	एसइजंड यूनि	टों द्वारा डीटीए यूनिटों त समायोजन	कि माल के प्रदाय	पा वाद्ध			
		समायाजन शन स्कीम के अधीन अ	क्ले के लिए भार	<u> </u>	(-)		
ر - ح					(+/-)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u>ड</u>	धारा 15 और तद्ध	थीन बनाए गए नियमों वे	अधान जापत न अन्य र के समामे	ANIGIOIAI			:
.	ावदशा मु	द्रा उतार-चढ़ाव के कारण	आवत म समाया	जन —	(+/-)		<u> </u>
ण	उपराक्त सूचीब	द्ध न किए गए कारण	। स आवत म सम	<u>्र</u>	(+/-)		 (स्व>
त	3	प्ररोक्त संमायोजनों के प					
		वार्षिक रिटर्न (जीएसटी:		াপর সার্থর		1	एटी।
<u>द</u>		असमाधानकृत ३					CII .
6		वार्षिक सकल आव	त म असमाधान			PIKU	. <u>. </u>
क	कारण			<<पाठ			
ख	कारण 2			<<पाठ 		· ·	
ग	कारण :			<<पाठ	>>		<u> </u>
7		कराधेय आवर्त का समाधान					
क	समायोजन के पश्चात् वार्षिक आवर्त (उपरोक्त 5त से) <स्व>						
ख	छूट प्राप्त, शून्य दर, गैर माल और सेवा कर प्रदायों, प्रदाय नहीं आवर्त का मूल्य						
ग	कर के संदाय के बिना शून्य दर प्रदाय ऐसे प्रदाय, जिन पर कर का संदाय प्रतिलोम प्रभार आधार पर प्राप्तिकर्ता द्वारा						
EF	i	र कर का सदाय प्रतिली	म प्रभार आधार	पर प्राप्तकत	द्वारा		
	किया जाना है।						
	उपरोक्त समायोजनों के अनुसार कराधेय आवर्त (क – ख – ग – घ) <स्व> वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआरएन-9) में घोषित दायित्व के अनुसार कराधेय आवर्त						
च	वाषिक रिटर्न (जी			ुसार कराध्य .	भावत	एटी 2	
छ		असमाधानकृत कराध					
8			में असमाधानकृत				
क	कारण 1			<<पाठ			
ख	कारण 2			<<पाठ			
ग	कारण 3 <<पाठ>>						
भाग. III	संदत कर का समाधान दर-वार दायित्व तथा उस पर संदेय रकम का समाधान						
. 9		दर-वार दायिल	व तथा उस पर सर				
					संदेय कर		
		•		राज्य			
	वर्णन	कराधेय मूल्य	केन्द्रीय कर	कर/संघ	एकी	ाकृत कर	उपकर, यदि
				राज्यक्षेत्र		-	लागू हो
			1	कर			
	1	2	3	4			6
क	5%						<u> </u>

ख 5% (आरसी) ग 12% घ 12% (आरसी) ड 18% च 18% (आरसी) छ 28% ज 28% (आरसी) झ 3% ज 0.25% ट 0.10% ठ ब्याज ड विलम्ब शुल्क ढ शास्ति ण अन्य उपरोक्त सारणियों के अनुसार संदत्त की जाने वाली कुल रकम					
घ 12% (आरसी) ड 18% च 18% (आरसी) छ 28% ज 28% (आरसी) झ 3% ठ ०.25% ट 0.10% ठ ब्याज ड विलम्ब शुल्क ढ शास्ति ण अन्य उपरोक्त सारणियों के अनुसार संदत की जाने वाली कुल रकम <स्व>					
ड 18% (आरसी) छ 28% ज 28% (आरसी) झ 3% ञ 0.25% ट 0.10% ठ ब्याज ड विलम्ब शुल्क ढ शास्ति ण अन्य उपरोक्त सारणियों के अनुसार संदत की जाने वाली कुल रकम <स्व>					
च 18% (आरसी) छ 28% ज 28% (आरसी) झ 3% ञ 0.25% ट 0.10% ठ ब्याज ड विलम्ब शुल्क ढ शास्ति ण अन्य उपरोक्त सारणियों के अनुसार संदत्त की जाने वाली कुल रकम					
च 18% (आरसी) छ 28% ज 28% (आरसी) झ 3% ञ 0.25% ट 0.10% ठ ब्याज ड विलम्ब शुल्क ढ शास्ति ण अन्य त उपरोक्त सारणियों के अनुसार संदत्त की जाने वाली कुल रकम					
38% ज 28% (आरसी) झ 3% ज 0.25% ट 0.10% ठ ब्याज ड विलम्ब शुल्क ढ शास्ति ण अन्य उपरोक्त सारणियों के अनुसार संदत की जाने वाली कुल रकम					
ज 28% (आरसी) झ 3% ञ 0.25% ट 0.10% ठ ब्याज ड विलम्ब शुल्क ढ शास्ति ण अन्य त उपरोक्त सारणियों के अनुसार संदत्त की जाने वाली कुल रकम <स्व> <स्व>					
झ 3%					
ज 0.25% ट 0.10% ठ ब्याज ड विलम्ब शुल्क ढ शास्ति ण अन्य उपरोक्त सारणियों के अनुसार संदत्त की जाने वाली कुल रकम <स्व>					
ट 0.10% ठ ब्याज ड विलम्ब शुल्क ढ शास्ति ण अन्य उपरोक्त सारणियों के अनुसार संदत्त की जाने वाली कुल रकम <स्व>					
ठ ब्याज ड विलम्ब शुल्क ढ शास्ति ण अन्य उपरोक्त सारणियों के अनुसार संदत्त की जाने वाली कुल रकम					
ड विलम्ब शुल्क ढ शास्ति ण अन्य उपरोक्त सारणियों के अनुसार संदत्त की त जाने वाली कुल रकम <स्व>					
ढ शास्ति ण अन्य उपरोक्त सारणियों के अनुसार संदत की त जाने वाली कुल रकम <स्व> <स्व>					
ण अन्य उपरोक्त सारणियों के अनुसार संदत्त की त जाने वाली कुल रकम <स्व> <स्व>					
त उपरोक्त सारणियों के अनुसार संदत की ताने वाली कुल रकम <स्व> <स्व>	-				
ाने वाली कुल रकम <स्व> <स्व>					
	<स्व>	⟨ ₹ व ⟩			
वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में					
यथाघोषित संदत कुल रकम		<u> </u>			
द रकम का असमाधानकृत संदाय	पीटी 1	<u> </u>			
10 रकम के असमाधानकृत संदाय के लिए कारण	· .				
क कारण 1 <<पाठ>>>	कारण 1 <<पाठ>>>				
ख कारण 2 <<पाठ>>>					
ग कारण 3 <<पाठ>>	· 				
अतिरिक्त संदेय रकम, किन्तु संदत्त नहीं की गई रकम (उपरोक्त सारणी 6, 8 औ	रि 10 के अधीन	विनिर्दिष्ट			
कारणों से)					
नकदी के माध्यम से स	नंदत्त किया जा ए				
राज्य/संघ					
केन्द्रीय कर राज्यक्षेत्र एर्व	निकृत कर	उपकर, यदि			
वर्णन कराधेय मूल्य कर		कोई हो			
1 2 3 4	5	6			
5%	<u> </u>				
12% 18%					
28%					
3%					
0.25%					
0.10%					
ब्याज	1 .	:			
विलम्ब शुल्क					
शास्ति					
अन्य (कृप्या					
विनिर्दिष्ट करें)	,	,			
भाग. IV इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) का समाधान					

1	शुद्द इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) का समाधान						
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए संप	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए संपरीक्षित वार्षिक वितीय विवरणों के अनुसार लाम लिया					
	गया इनपुट कर प्रलग (एक. ही स्थायी लेखा संख्यांक के अधीन बह जीएसटीआईएन						
- c	n यूनिटों के लिए इसे र	लेखाबहियों से प्राप्त किया जा	ना चाहिए)				
	चालू वितीय वर्ष में दावा किए ग	गए पूर्व वितीय वर्षों में बुक कि	ए गए इनपुट कर				
₹	ब्र प्रत	 _{यय} (आईटीसी)		(+)			
	पश्चातवर्ती वितीय वर्ष में दाव		वर्षों में ब्क				
a	·	नपुट कर प्रत्यय (आईटीसी)		(-)			
	·	या लेखाबहियों के अनुसार ला	भ लिया गया शुद्				
£	1	प्रत्यय कर	_	< र व>			
3	ह वार्षिक रिटर्न (जीएस	ाटीआर-९) में दावाकृत इनपुट	कर प्रत्यय				
₹	उसमाधानम्	त इनपुट कर प्रत्यय (आईटी	सी)	आईटीसी 1			
13	इनंपुट	कर प्रत्यय (आईटीसी) में अर	ामाधानकृत अंतर	के कारण			
a r	कारण 1		<<पाठ>>				
ख	ा कारण 2		<<पाठ>>				
• व	ा कारण 3		<<पाठ>>				
14	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विव	रणों या लेखा बहियों के अनुस	ार खर्ची पर लाभ	लिए गए आईटीसी सहित वार्षिक			
17	रिट	र्न (जीएसटीआर-9) में घोषित	आईटीसी का स	माधान			
	विवरण	मन्य	आईटीसी की व	कुल लाभ ली गई पात्र			
	144(-)	मूल्य	रकम	आईटीसी की रकम			
	1	2	3	4 :			
							
ख	भाइा/ढ्लाई			. 			
							
ग	ऊर्जा और ईंधन						
ग् . घ	ऊर्जा और ईंधन आयातित माल (एसईजेड से						
. घ	ऊर्जा और ईंधन आयातित माल (एसईजेड से प्राप्त समेत)						
***	ऊर्जा और ईंधन आयातित माल (एसईजेड से प्राप्त समेत) किराया और बीमा						
. घ	ऊर्जा और ईंधन आयातित माल (एसईजेड से प्राप्त समेत) किराया और बीमा खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट हुई,						
. घ	ऊर्जा और ईंधन आयातित माल (एसईजेड से प्राप्त समेत) किराया और बीमा खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट हुई, बट्टे खाते में डाली गई या						
घ ङ	ऊर्जा और ईंधन आयातित माल (एसईजेड से प्राप्त समेत) किराया और बीमा खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट हुई, बट्टे खाते में डाली गई या उपहार या मुफ्त सैंपलों के रूप						
घ ङ च	ऊर्जा और ईंधन आयातित माल (एसईजेड से प्राप्त समेत) किराया और बीमा खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट हुई, बट्टे खाते में डाली गई या उपहार या मुफ्त सैंपलों के रूप में दिए गए माल						
घ ङ	ऊर्जा और ईंधन आयातित माल (एसईजेड से प्राप्त समेत) किराया और बीमा खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट हुई, बट्टे खाते में डाली गई या उपहार या मुफ्त सैंपलों के रूप में दिए गए माल स्वामिस्व						
घ ङ च	ऊर्जा और ईंधन आयातित माल (एसईजेड से प्राप्त समेत) किराया और बीमा खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट हुई, बट्टे खाते में डाली गई या उपहार या मुफ्त सैंपलों के रूप में दिए गए माल स्वामिस्व कर्मचारियों की लागत (वेतन,						
घ ङ च छ ज	ऊर्जा और ईंधन आयातित माल (एसईजेड से प्राप्त समेत) किराया और बीमा खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट हुई, बट्टे खाते में डाली गई या उपहार या मुफ्त सैंपलों के रूप में दिए गए माल स्वामिस्व कर्मचारियों की लागत (वेतन, मजदूरी, बोनस आदि।)						
घ ङ च छ ज	ऊर्जा और ईंधन आयातित माल (एसईजेड से प्राप्त समेत) किराया और बीमा खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट हुई, बट्टे खाते में डाली गई या उपहार या मुफ्त सैंपलों के रूप में दिए गए माल स्वामिस्व कर्मचारियों की लागत (वेतन, मजदूरी, बोनस आदि।) प्रवहण प्रभार						
घ इ च ख ज ज झ	ऊर्जा और ईंधन आयातित माल (एसईजेड से प्राप्त समेत) किराया और बीमा खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट हुई, बट्टे खाते में डाली गई या उपहार या मुफ्त सैंपलों के रूप में दिए गए माल स्वामिस्व कर्मचारियों की लागत (वेतन, मजदूरी, बोनस आदि।) प्रवहण प्रभार बैंक प्रभार						
घ ङ च छ ज	उर्जा और ईंधन आयातित माल (एसईजेड से प्राप्त समेत) किराया और बीमा खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट हुई, बट्टे खाते में डाली गई या उपहार या मुफ्त सैंपलों के रूप में दिए गए माल स्वामिस्व कर्मचारियों की लागत (वेतन, मजदूरी, बोनस आदि।) प्रवहण प्रभार बैंक प्रभार मनोरंजन प्रभार						
घ इ च ख ज ज झ	ऊर्जा और ईंधन आयातित माल (एसईजेड से प्राप्त समेत) किराया और बीमा खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट हुई, बट्टे खाते में डाली गई या उपहार या मुफ्त सैंपलों के रूप में दिए गए माल स्वामिस्व कर्मचारियों की लागत (वेतन, मजदूरी, बोनस आदि।) प्रवहण प्रभार बैंक प्रभार मनोरंजन प्रभार लेखन सामग्री व्यय (डाक						
घ ड च छ ज झ ठ ठ	उर्जा और ईंधन आयातित माल (एसईजेड से प्राप्त समेत) किराया और बीमा खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट हुई, बट्टे खाते में डाली गई या उपहार या मुफ्त सैंपलों के रूप में दिए गए माल स्वामिस्व कर्मचारियों की लागत (वेतन, मजदूरी, बोनस आदि।) प्रवहण प्रभार बैंक प्रभार मनोरंजन प्रभार लेखन सामग्री व्यय (डाक आदि सहित)						
घ ङ च छ ज झ ञ ट	ऊर्जा और ईंधन आयातित माल (एसईजेड से प्राप्त समेत) किराया और बीमा खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट हुई, बट्टे खाते में डाली गई या उपहार या मुफ्त सैंपलों के रूप में दिए गए माल स्वामिस्व कर्मचारियों की लागत (वेतन, मजदूरी, बोनस आदि।) प्रवहण प्रभार बैंक प्रभार मनोरंजन प्रभार लेखन सामग्री व्यय (डाक						

0	T पूंजी मा	ભ <u> </u>				;	
7	न कोई अन्य	ज्यय l					
9	। कोई अन्य	व्यय 2					
	T	लाभ ली गई पात्र आईव	टीसी की कुल रक	म	<<	(स्व>>	
. E	ा वार्षिक	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में दावा की गई आईटीसी					
F	т -	असमाधानकृत	आईटीसी		311	टीसी 2	
15	5	आईटीसी	में असमाधानकृ	त अंतर के कार	ण		
व	न कारण	1		<<पाठः	>>		
ख	कारण:	2		<<पाठ>	>>	,	
J	ा कारण	3.		<<पाठ>	>> .		
16	, आईटीर	ी में असमाधानकृत अंत	र पर संदेय कर (३	प्रपर 13 और 1 5	में विनिर्दिष्ट कारण	ों से)	
	वर्णन			संदेय रकम			
	केन्द्रीय कर					•	
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						
	एकीकृत कर						
	उपकर				•		
	ब्याज	·					
	शास्ति						
भाग. V		गैर-समाधान के कारण	अतिरिक्त दायि	त्व पर संपरीक्ष	क की सिफारिश		
		नकदी के माध्यम से संदेय					
				राज्य			
			केन्द्रीय कर	कर/संघ राज्यक्षेत्र	एकीकृत कर	उपकर, यदि लागू हो	
	वर्णन	मूल्य		कर			
	1	2	3	4	5	6	
	5%						
	12%						
	18%						
	28%		 				
	0.25%						
	0.10%		·				
	इनपुट कर प्रत्यय						
	ब्याज						
	विलम्ब शुल्क	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			: •		
\$ 100 miles	शास्ति						
	वार्षिक विवरणी	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,				
	(जीएसीटीआर-9)		,	.		:	
	1 *					1	
1	में सम्मिलित नहीं					1	
	किए गए प्रदायों						
	1						

	वापस संदाय के				
* *	लिए त्रुटिपूर्ण				
	प्रतिदाय				
	परिनिर्धारित की जाने वाली बकाया				
	जाने वाली बकाया			4	
	मांगे				
	अन्य (कृपया	·			
	विनिर्दिष्ट करें)				

सत्यापन:

में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोतम ज्ञान आर विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा उसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।


** (संपरीक्षक	के हस्ताक्षर और स्टांप/मुद्रा)
स्थान :	
हस्ताक्षरकर्ता क	ा नाम :
सदस्यता सं0 :	
तारीख :	<u></u>
•	
अनुदेश :-	
1.	प्रयोग किए गए निबंधन :
	(क) जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या
2.	जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की अविध के लिए ब्यौरे वितीय वर्ष 2017-18 के लिए इस विवरण में दिए जाएं । समाधान विवरण प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए पृथक् रूप से फाइल किया जाए।
3.	इस विवरण में चालू वितीय वर्ष के प्रति निर्देश, उस वितीय वर्ष से है, जिसके लिए समाधान विवरण फाइल किया जा रहा है ।
4.	भाग-2 इस जीएसटीआईएन के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9 के अधीन प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न में यथाघोषित आवर्त सहित संपरीक्षित वार्षिक विवरणों में घोषित वार्षिक आवर्त के समाधान से मिलकर बना है। इस

सारणी सं0 अनुदेश

भाग को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार है :

5क वार्षिक संपरीक्षित वितीय विवरणों के अनुसार आवर्त यहां घोषित किया जाएगा । ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां बहु जीएसटीआईएन (राज्यवार) रजिस्ट्रीकरण एक ही स्थायी लेखा संख्या पर विद्यमान है । यह बहु राज्यों पर विद्यमानता वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के लिए सामान्य है । ऐसे व्यक्तियों/अस्तित्वों को अपना जीएसटीआईएन वार आवर्त

	आंतरिक रूप से प्राप्त करना होगा और उसे यहां घोषित करना होगा । इसके अंतर्गत
	निर्यात आवर्त (यदि कोई हो) भी होगा । यह नोट किया जाए कि संपरीक्षित वितीय
	विवरण के प्रति निर्देश के अंतर्गत बहुराज्यों पर विद्यमानता रखने वाले
	व्यक्तियों/अस्तित्वों के मामले में लेखाबहियों के प्रति निर्देश भा है ।
5ख	ऐसा बिना तैयार किया गया बिल वाला राजस्व, जो पिछले वितीय वर्ष में लेखांकन की
	प्रोद्भवन प्रणाली आधार पर लेखाबहियों में अभिलिखित किया गया था, और चाल्
	वित्तीय वर्ष में अग्रनीत किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा । अन्य शब्दों
,	में, जब वस्तु और माल सेवा कर ऐसे राजस्व (जो पहले मान्यताप्राप्त था) पर
	वितीय वर्ष के दौरान संदेय है, तब ऐसे राजस्व का मूल्य यहां घोषित किया
	जाएगा ।
	(उदाहरणार्थ, यदि वितीय वर्ष 2016-17 के लिए विद्यमान बिना तैयार किए गए
,	बिल वाला राजस्व दस करोड़ रुपए का है और चालू वितीय वर्ष के दौरान, ऐसे
	राजस्व के चार करोड़ रुपए पर वस्तु और सेवा कर का संदाय गिया गया है तो
	चार करोड़ रुपए का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा) ।
5ग	ऐसे सभी अग्रिमों का मूल्य, जिनके लिए माल और सेवा कर का संदाय किया गया
	है, किंतु उसे संपरीक्षित वार्षिक वितीय विवरणों में राजस्व के रूप में मान्यता नहीं
	दी गई है, यहां घोषित किया जाएगा ।
5घ	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची-1 के अधीन समझे गए
	प्रदायों का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । समझा गया ऐसा कोई प्रदाय, जो
	वार्षिक संपरीक्षित वितीय विवरणों में आवर्त का पहले से ही भाग है, उसे यहां
	सम्मिलित किया जाना अपेक्षित नहीं है ।
<i>c</i> =	चालू वितीय वर्ष में सम्मिलित किसी प्रदाय के लिए 31 मार्च के पश्चात् जारी
5ङ	प्रत्यय नोटों का सकल मूल्य, किंतु ऐसे प्रत्यय नोट वार्षिक विवरणी
	(जीएसटीआर-9) में परिलक्षित हुए थे, यहां घोषित किया जाएगा ।
5च.	व्यापार छूटें, जिसका वार्षिक संपरीक्षित वितीय कथनों में लेखा जोखा दिया गया है
	किंतु इन पर माल और सेवा कर उदग्रहणीय था (अनुजेय नहीं), यहां घोषित की जाएंगी ।
	A
5छ.	अप्रैल, 2017 से जून, 2017 तक वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में सिन्मिलित
	आवर्त यहां घोषित किया जाएगा ।
5ज.	चालू वितीय वर्ष के दौरान बिल नहीं किया गया राजस्व, जो लेखा के उदभूत तंत्र के
	आधार पर लेखा बहियों में अभिलिखित किया गया था किंतु उसी वितीय वर्ष में
	ऐसे राजस्व पर माल और सेवा कर संदेय नहीं था, यहां घोषित किया जाएगा।
इ .	सभी अग्रिमों का मूल्य, जिसके लिए माल और सेवा कर संदत नहीं किया गया है,
	किंतु जिसे वार्षिक संपरीक्षित वितीय कथनों में राजस्व के रूप में मान्यता दी गई
	है, यहां घोषित किया जाएगा ।
গ্ন.	प्रत्यय नोटों का सकल मूल्य, जिसका लेखा जोखा संपरीक्षित दार्षिक वितीय कथनों में
	दिया गया है किंतु यह केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 के अधीन
	अनुज्ञेय नहीं था, यहां घोषित किया जाएगा ।
	The state of the s



7룡.	कराधेय आवर्त को ऊपर सारणी 7क में घोषित समायोजन के पश्चात् वार्षिक आवर्त और
	सारणी 7ख. सारणी 7ग और सारणी 7घ में ऊपर घोषित सभी प्रदायों के कुल मूल्य
	(छूट प्राप्त, गैर-माल और सेवा कर, विपरित प्रभार आदि) के बीच अंतर के रूप में
	व्युत्पन्न माना जाता है ।
7च.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 4ढ में घोषित किया गया कराधेय
	आवर्त, यहां घोषित किया जाएगा ।
8.	समायोजित वार्षिक कराधेय आवर्त, जैसा ऊपर सारणी 7ड से व्युत्पन्न है और सारणी 7च
	में घोषित कराधेय आवर्त के बीच गैर-समाधान के कारणों को यहां विनिर्दिष्ट किया
	जाएगा ।

5. भाग 3 समाधान कथन में घोषणा के अनुसार संदेय कर के समाधान और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित वास्तविक संदत्त कर से मिलकर बना है। इस भाग को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:--

सारणी सं.	अनुदेश
9.	सारणी समाधान कथन के अनुसार संदत कर के समाधान और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित संदत कर की रकम का उपबंध करती है । "आरसी" के रूप में चिहिनत मद के अधीन प्रदाय, जहां प्राप्तकर्ता (अर्थात् वह व्यक्ति, जिसके लिए समाधान कथन तैयार किया गया है) द्वारा कर का संदाय विपरित प्रभार के आधार पर किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा ।
9त.	सारणी 9क से 9ण में घोषित दायित्व के अनुसार संदत्त की जाने वाली कुल रकम यहां बिना हस्तक्षेप के भरी जाएगी ।
9খ.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 9 में घोषित संदेय रकम, यहां घोषित की जाएगी । इसमें वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 10 या 11 में संदत्त कोई अंतर वाला कर भी अंतर्विष्ट होना चाहिए ।
10.	ऊपर सारणी 9त में घोषित संदेय/दायित्व के बीच गैर-समाधान के लिए कारण तथा सारणी 9थ में संदेय रकम यहां विनिर्दिष्ट की जाएगी।
11.	ऊपर सारणी 6, 8 और 10 के अधीन विनिर्दिष्ट कारणों से संदेय कोई रकम, यहां घोषित की जाएगी ।

6. भाग 4 इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) के समाधान से मिलकर बना है । भाग 4 को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :--

सारणी सं.	अनुदेश
12年.	संपरीक्षित वितीय कथनों के अनुसार उपभोग की गई आईटीसी (प्रत्यागम के पश्चात), यहां घोषित की जाएगी । ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां बहु जीएसटीआईएन (राज्यवार) रजिस्ट्रीकरण एक ही पीएएन पर विद्यमान हो सकते हैं । यह कई राज्यों में उपस्थिति वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के लिए सामान्य हैं । ऐसे व्यक्ति/अस्तित्व को प्रत्येक व्यष्टिक जीएसटीआईएन के लिए अपनी आईटीसी आंतरिक रूप से व्युत्पन्न करनी होगी और उसे यहां घोषित करना होगा । यहां यह उल्लेखनीय है कि संपरीक्षित वितीय कथन के प्रतिनिर्देश में कई राज्यों में उपस्थिति रखने वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के मामले में लेखा बहियों के

	प्रतिनिर्देश सम्मिलित है ।
12ख.	कोई आईटीसी, जिसे पूर्ववर्ती वितीय वर्षों के संपरीक्षित वितीय कथनों में लेखबद्ध किया गया किंतु उसका उपभोग उस वितीय वर्ष के आईटीसी लेजर में किया गया, जिसके लिए समाधान कथन फाइल किया जा रहा है, यहां घोषित किया जाएगा । इसमें वह संक्रमण प्रत्यय भी सम्मिलित होगा, जिसे पूर्ववर्ती वर्षों में लेखबद्ध किया गया था किंतु उसका उपभोग वितीय वर्ष 2017-18 के दौरान किया गया ।
12म.	कोई आईटीसी, जिसे चालू वितीय वर्ष के वार्षिक संपरीक्षित वितीय कथन में लेखबद्ध किया गया है किंतु जिसका प्रत्यय उक्त वितीय वर्ष के लिए आईटीसी लेजर में नहीं किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा ।
12घ.	वार्षिक संपरीक्षित वितीय कथन या लेखाबहियों के अनुसार उपभोग आईटीसी, जो ऊपर सारणी 12क, 12ख और 12ग में घोषित मूल्यों से व्युत्पन्न है, यहां बिना हस्तक्षेप के भरा जाएगा !
12ਵ.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 7ज में घोषित उपयोग के लिए उपलब्ध कुल आईटीसी, यहां घोषित किया जाएगा ।
13.	वार्षिक संपरीक्षित वितीय कथन या लेखा बहियों (सारणी 12घ) और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में उपभोग कुल आईटीसी (सारणी 12ङ) के अनुसार आईटीसी के गैर-समाधान के कारण यहां विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
14.	यह सारणी वार्षिक संपरीक्षित वितीय कथन या लेखा बहियों में लेखबद्ध व्ययों के लिए वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित आईटीसी के समाधान के लिए हैं । इस सारणी के अधीन विनिर्दिष्ट विभिन्न उपमद वार्षिक संपरीक्षित वितीय कथन या लेखा बहियों में साधारण व्यय हैं, जिन पर आईटीसी का उपभोग किया या नहीं किया जा सकेगा और, यह मदों की केवल एक प्रतिकारत्मक सूची है, जिसके अधीन व्ययों को साधारणतया लेखबद्ध किया जाता है । करदाता इनमें से किन्हीं मदों को जोड़ या हटा सकते हैं किंतु व्ययों के सभी मद, जिन पर माल और सेवा कर का संदाय किया गया है/संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा ।
14द.	सारणी 14क से 14थ तक घोषित कुल आईटीसी, जहां बिना हस्तक्षेप के भरी जाएगी ।
14ध.	वार्षिकी विवरण (जीएसटीआर 9) में घोषित उपभोग की गई कुल आईटीसी यहां घोषित की जाएगी । वार्षिकी विवरण (जीएसटीआर 9) की सारणी 7त्र को इस सारणी को फाइल करने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा ।
15.	सारणी 12द में घोषित विभिन्न व्ययों पर उपभोग की गई आईटीसी और सारणी 12ध में घोषित आईटीसी के बीच गैर-समाधान के कारण यहां विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
16.	सारणी 13 और सारणी 15 में ऊपर विनिर्दिष्ट कारणों के कारण संदेय कोई रकम, यहां घोषित की जाएगी ।

7. भाग 5 आवर्त के गैर-समाधान या इनपुट कर प्रत्यय के गैर-समाधान के कारण करदाता द्वारा निर्मोचित किए जाने वाले अतिरिक्त दायित्व पर संपरीक्षक की सिफारिश से मिलकर बना है। संपरीक्षक यह भी सिफारिश करेगा कि क्या प्रदाय के लिए सदत्त की जाने वाली कोई और रकम वार्षिक विवरणी में सम्मिलत नहीं है। कोई प्रतिदाय, जिसे त्रुटिपूर्ण ढंग से लिया गया है और जिसे सरकार को वापस संदाय किया जाएगा, उसे भी इस सारणी में घोषित किया जाएगा। अंत: में कोई अन्य बकाया मांगे, जिनके निपटारे की सिफारिश संपरीक्षक द्वारा की गई है, इस सारणी में घोषित की जाएंगी।

8. समाधान कथन के अंत में करदाताओं को संपरीक्षक द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार अपने करों के संदाय का वैवकल्प दिया जा सकेगा ।

"भाग-ख - प्रमाणीकरण
 उन मामलों में प्रमाणीकरण, जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर 9ग) उस व्यक्ति द्वारा तैयार किया जात है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है:
* मैंने/हमने
(क) को तुलन-पत्र की ;
(ख) से आरंभ होने वाले और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए * लाभ और हानि लेखा और/आय और व्यय लेखा की ;
(ग) यहां संलग्न से आरंभ होने वाली और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन मैसर्स (नाम) (पता) (जीएसटीआईएन) की ;
परीक्षा कर ली है।
2. हमारी संपरीक्षा के आधार पर मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति—
+ ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/ मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है।
* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/ मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है ।
1.
2. 3.
3. (क) * मैं/हम निम्नलिखित प्रेक्षणों/टिप्पणियों/कमियों/अंसगतताओं, यदि कोई हों, को रिपोर्ट करते हैं :
3. (ख) +मैं/हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि,
(अ) *मैंने/हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरे /हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और

- - विश्वास के अनुसार संपरीक्षा/जानकारी और स्पष्टीकरणों के लिए आवश्यक थे, जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, हमें प्रदान नहीं किए गए/आंशिक रूप से प्रदान किए गए।
 - (आ) मेरी/हमारी राय में जहां तक बहियों के मेरी/हमारी परीक्षा से प्रकृट होता है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ढंग से लेखा बहियों को रखा गया है/नहीं रखा गया है।
 - (इ) मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि तुलन-पत्र, लाभ और हानि/आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह कथन राज्य के भीतर पर कारबार के मुख्य स्थान और कारबार के अतिरिक्त स्थान पर रखी गई लेखा बहियों के अनुसार हैं/के अनुसार नहीं हैं।

5. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षणों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यधीन उक्त प्रारूप सं. जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही है : (क) (ख) (ग)
(国)
(a)
······································
** (संपरीक्षक के हस्ताक्षर और म्हर/सील)
स्थान :
हस्ताक्षरी का नाम
सदस्यता सं
तारीख : पूरा पता
II. उन मामलों में प्रमाणीकरण, जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर 9ग) उस व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है :
* मैं/हम रिपोर्ट करते हैं कि मैसर्स (जीएसटीआईएन के साथ निर्धारिती का नाम और पता) की लेखा बहियों और वितीय कथनों की संपरीक्षा अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सदस्यता सं धारण करने वाले मैसर्स (प्रास्थिति के साथ संपरीक्षक का पूरा नाम और पता) द्वारा की गई थी, और * मैं/हम निम्नलिखित की एक प्रति के साथ
(क) को तुलन-पत्र ;
(ख) से आरंभ होने वाले और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए * लाभ और हानि लेखा और/आय और व्यय लेखा ;
(ग) से आरंभ होने वाली और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन ; और
(घ) उक्त अधिनियम द्वारा *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय लेखा तथा तुलन-पत्र के भाग के रूप में या उससे संलग्न घोषित किए गए दस्तावेज ।
थ. मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति—

* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/ मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है।

 ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/ उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाअ 	मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और गों दवारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और
दस्तावेजों को नहीं रखा है ।	•
1.	
2.	
3.	
3. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 35(5) के और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(2) वे कथन प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है।	h अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान
4. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में परीक्षा के अनुसार और मुझं/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अ अध्यधीन उक्त प्रारूप सं. जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टि	ानुसार निम्नलिखित प्रेक्षणौं/अर्हताओं, यदि कोई हों, के
(क)	
(평)	
(ग)	
** (संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर/सील)	
स्थान :	
हस्ताक्षरी का नाम	
सदस्यता सं	
तारीख:	
पूरा पता"	
(2) यह अधिसूचना 13 सितम्बर, 2018 से प्रवृत हुई मानी जा	ाएगी।
-	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
	अरूण परमार, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 29 सित	गम्बर 2018 ·

क्र. एफ ए 3-33-2018-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-33-2018-1-पांच (88), दिनांक 29 सितम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 29th September 2018

No. F A 3-33/2018/1/V (88) In exercise of the powers conferred by section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

AMENDMENTS

1. In the FORMS to the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, after FORM GSTR-9A, the following shall be inserted, namely:-

"FORM GSTR-9C

See rule 80(3)

PART - A - Reconciliation Statement

Pt. I		Basic Details						
	Financial							
1	Year							
2	GSTIN							
3A	Legal Name	< Auto>						
	Trade Name			· .				
3B	(if any)	<auto></auto>						
4	Are y	ou liable to audit under any Act?		ease specify>>				
				n ₹ in all tables)				
Pt.	Reconciliatio	n of turnover declared in audited Annua	l Finar	icial Statement with				
II	· !	turnover declared in Annual Return	(GSTI	(9)				
5		Reconciliation of Gross Turno						
	Turnover (inch	uding exports) as per audited financial states	ments					
Α	for the State /	UT (For multi-GSTIN units under same PA	N the	,				
Λ.	A turnover shall be derived from the audited Annual Financial							
		Statement)	,					
В		enue at the beginning of Financial Year	(+)					
. C		dvances at the end of the Financial Year	(+)					
D		emed Supply under Schedule I	(+)	<u> </u>				
Е		sued after the end of the financial year but	(+)					
	_	eflected in the annual return						
F		ents accounted for in the audited Annual						
		ement but are not permissible under GST	(+)					
G	Turno	(-)						
H	Unbilled revenue at the end of Financial Year (-)							
I	Unadjusted A	dvances at the beginning of the Financial						
1		Year	(-)					
j		es accounted for in the audited Annual	(-)					
		ement but are not permissible under GST						
K	Adjustments or	account of supply of goods by SEZ units						
		to DTA Units	(-)					

1 -			•,•		1 ()	<u> </u>	
L	Turnover f	or the period under outs in turnover under	composition	scheme	(+/-		
M	Adjustmen						
	thereunder) Adjustments in turnover due to foreign exchange (+/-						
N	Adjustific	fluctuations		01141160	()		
		1144444410110			(+/-		
0	Adjustments	in turnover due to re	asons not lis	sted above	<u>`)</u>		
P	Anı	nual turnover after ac	ljustments a	s above		< <u>/</u>	\uto>
Q	Turno	ver as declared in Ar	nual Return	(GSTR9)			
R		Un-Reconciled tur				L	AT1
6		ons for Un - Reconc	iled differe			oss Turno	ver
Ą	Reason			< <tex< td=""><td></td><td></td><td></td></tex<>			
В	Reason			< <tex< td=""><td></td><td></td><td></td></tex<>			
C	Reason			< <tex< td=""><td></td><td></td><td></td></tex<>			
.7		Reconcili	ation of Ta	kable Turn	over	Anto	
A	Annual	turnover after adjust	ments (from	SP above)	,	<auto< td=""><td></td></auto<>	
_ ^		mpted, Nil Rated, No			vlaai		
В	, varao or zazo	turnov		, ,	11 7		
C	Zer	o rated supplies with	out paymen	t of tax			
D	Supplies on v	which tax is to be pai		ipient on rev	verse		
		charge b					
E	Taxable t	urnover as per adjust	tments above	e (A-B-C-D)	<auto></auto>	
F	Taxable turn	nover as per liability (GSTR		Annual Ret	urn		
G		Unreconciled taxable		'.E)		Δ	Т 2
8		easons for Un - Rec			yable		.1.2
A	Reason		onenea ann	< <tex< td=""><td></td><td></td><td></td></tex<>			
В	Reason			< <tex< td=""><td></td><td></td><td></td></tex<>			
C	Reason			< <tex< td=""><td></td><td></td><td></td></tex<>			
Pt.							
III			nciliation o				
9	Reco	nciliation of rate w	ise liability				n
ľ			T	Tax	x payat	ole	C.s. is
	Description	Taxable Value	Central	State tax	Inter	rated Tax	Cess, if applicabl
	Description	Taxable value	tax	/UT tax	nneg	lateu Tax	e
	1	2	3	4	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5	6
Α	5%				;		
В	5% (RC)	***************************************					
c	12%						
·D	12% (RC)						
E	18%						
F	18% (RC)						
G	28%						
Н	28% (RC)						
I	3%						
J	0.25%						
K	0.10%						
L	Interest						

				•	···-	٦		
M	Late Fee							
N	Penalty							
0	Others							
P	1	t to be paid as per		- A A >	< Ato>	<auto></auto>		
1		es above	<auto></auto>	<auto></auto>	<auto></auto>	Auto		
Q		paid as declared in eturn (GSTR 9)						
R		-reconciled payment	of amount		PT 1			
10		Reasons for un		payment o	f amount			
A	Reason			< <text< th=""><th></th><th></th></text<>				
В	Reason	2	;	< <tex< th=""><th>!>>.</th><th></th></tex<>	!>> .			
c	Reason	3		< <tex< th=""><th></th><th></th></tex<>				
	Additional a	mount payable but	not paid (d	ue to reaso	ns specified und	ler Tables		
11			6,8 and 10 a	bove)				
			T	To be pa	id through Cash	[C :6		
		·	Central	State tax	Integrated tax	Cess, if applicabl		
	75	Tamakia Malua	- tax	/UT tax	integrated tax	applicati e		
	Description	Taxable Value		 				
	1	2	3	4	5	6		
	5%							
	12%							
	18%							
[]	28%							
	3%							
	0.25%							
	0.10%	·						
	Interest					1		
	Late Fee							
	Penalty							
	Others							
	(please							
D+	specify)		<u></u>	<u> </u>		<u> </u>		
Pt. IV		Reconciliation	on of Input	Tax Credit	(ITC)			
12		Reconciliation						
	ITC availed a	s per audited Annual	Financial S	tatement fo	r the			
		multi-GSTIN units			nould			
A		be derived from bool				<u>,</u>		
	ITC booked in	earlier Financial Ye		in current	(4)			
В	Financial Year (+) ITC booked in current Financial Year to be claimed in							
c	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
	ITC availed as per audited financial statements or books of							
D	account <auto></auto>							
Е	ITC claimed in Annual Return (GSTR9)							
F			CC 1					
13		Reasons for u	n-reconciled					
A	Reason			< <tex< th=""><th></th><th></th></tex<>				
В	Reason			< <tex< th=""><th></th><th></th></tex<>				
C	Reason 3 < <text>></text>							

14	Reconciliation of ITC expenses as per a	idited Annual Financ	ial Statement or	books of account
	Description	Value	Amount of Total ITC	Amount of eligible
	1	2	3	4
Α	Purchases			
В	Freight / Carriage			
C	Power and Fuel		•	
Ŭ	Imported goods			
D	(Including received			
حب	from SEZs)			
Е	Rent and Insurance			
L	Goods lost, stolen,			
	destroyed, written off			,
F	or disposed of by way			
	of gift or free samples	·		
G	Royalties			
G	Employees' Cost	<u> </u>		
Н	(Salaries, wages, Bonus			
11	etc.)			
I		 	<u> </u>	
	Conveyance charges		,	
J	Bank Charges			
K	Entertainment charges			
L	Stationery Expenses			
	(including postage etc.)			***************************************
M	Repair and	,		·
	Maintenance			·
N	Other Miscellaneous		,	
	expenses			
0	Capital goods			
P	Any other expense 1	<u> </u>		
Q	Any other expense 2	<u> </u>		
R	Total amou	ınt of eligible ITC avai	led	< <auto>></auto>
S	ITC claimed	in Annual Return (GS'	ΓR9)	•
Т	U :	n-reconciled ITC		ITC 2
15	Reas	ons for un - reconcile	d difference in IT	'C
A	Reason 1		< <text>></text>	
В	Reason 2		< <text>></text>	
C	Reason 3		< <text>></text>	
$\overset{\smile}{-}$	Tax payable on un-re	conciled difference in		ons specified in 13
16	And payable on all 10	and 15 abo	•	
	Description		ount Payable	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ŀ	Central Tax			
ŀ	State/UT Tax			
}				
	IntegratedTa			•
ļ	Cooo			
-	Cess	·		
	Interest			
	Penalty			
t.	4 394 4	dation on additional	r + 1 +10/ 1	*** **

V

	To be paid through Cash					
Description	Value	Central tax	State tax / UT tax	Integrated tax	Cess, if applicabl	
1	2	3	4	5	6	
5%						
12%						
18%						
28%						
3%	·					
0.25%						
0.10%						
Input Tax	:					
Credit						
Interest						
Late Fee					·	
Penalty						
Any other amount paid for supplies						
not included in Annual Return						
(GSTR 9)			<u> </u>			
Erroneous refund to be paid back						
Outstanding demands to be settled						
Other (Pl. specify)						

*	7		~		٠.		
١.	,	eri	71	~~	tı	Λn	٠.
•			. 1.1	La	LI	VI.	L.

I hereby	solemnly	affirm and	declare that t	he information given	herein above is to	rue and
correct to	the best o	of my knowl	edge and belie	f and nothing has been	n concealed there from	om.
1		· /~ 4 /	1.4 · 4.4 · 1			

(Signature and Stamp/Scar of t	IIC Aud
Place:	
Name of the signatory	
Membership No	
Date:	
Eull addross	

Instructions: -

- 1. Terms used:
 - (a) GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number
- 2. The details for the period between July 2017 to March 2018 are to be provided in this statement for the financial year 2017-18. The reconciliation statement is to be filed for every GSTIN separately.
- 3. The reference to current financial year in this statement is the financial year for which the reconciliation statement is being filed for.
- 4. Part II consists of reconciliation of the annual turnover declared in the audited Annual Financial Statement with the turnover as declared in the Annual Return furnished in FORM GSTR-9 for this GSTIN. The instructions to fill this part are as follows:-

70 1.1. NI	LYt
Table No.	Instructions The turnover as per the audited Annual Financial Statement shall be declared
5A	The turnover as per the audited Annual Financial Statement shall be declared
	here. There may be cases where multiple GSTINs (State-wise) registrations exist on the same PAN. This is common for persons / entities with presence
	over multiple States. Such persons / entities, will have to internally derive
	their GSTIN wise turnover and declare the same here. This shall include
•	export turnover (if any). It may be noted that reference to audited Annual
	Financial Statement includes reference to books of accounts in case of persons
	/ entities having presence over multiple States.
5B	Unbilled revenue which was recorded in the books of accounts on the basis of
JD	accrual system of accounting in the last financial year and was carried forward
	to the current financial year shall be declared here. In other words, when GST
	is payable during the financial year on such revenue (which was recognized
	earlier), the value of such revenue shall be declared here.
	omnos), into vinta or owners, and
	(For example, if rupees Ten Crores of unbilled revenue existed for the
	financial year 2016-17, and during the current financial year, GST was paid on
	rupees Four Crores of such revenue, then value of rupees Four Crores rupees
	shali be declared here)
5C	Value of all advances for which GST has been paid but the same has not been
	recognized as revenue in the audited Annual Financial Statement shall be
	declared here.
5D	Aggregate value of deemed supplies under Schedule I of the CGST Act, 2017
	shall be declared here. Any deemed supply which is already part of the
	turnover in the audited Annual Financial Statement is not required to be
	included here.
5E	Aggregate value of credit notes which were issued after 31st of March for any
	supply accounted in the current financial year but such credit notes were
C.F.	reflected in the annual return (GSTR-9)shall be declared here.
5F	Trade discounts which are accounted for in the audited Annual Financial
	Statement but on which GST was leviable(being not permissible) shall be declared here.
5G	Turnover included in the audited Annual Financial Statement for April 2017 to
טכ	June 2017 shall be declared here.
5H	Unbilled revenue which was recorded in the books of accounts on the basis of
J11	Onlying revenue which was recorded in the books of according on the basis of

	accrual system of accounting during the current financial year but GST was
	not payable on such revenue in the same financial year shall be declared here.
5I	Value of all advances for which GST has not been paid but the same has been
- A	recognized as revenue in the audited Annual Financial Statement shall be
	declared here.
-5J	Aggregate value of credit notes which have been accounted for in the audited
	Annual Financial Statement but were not admissible under Section 34 of the
	CGST Act shall be declared here.
5K	Aggregate value of all goods supplied by SEZs to DTA units for which the
	DTA units have filed bill of entry shall be declared here.
5L	There may be cases where registered persons might have opted out of the
	composition scheme during the current financial year. Their turnover as per
	the audited Annual Financial Statement would include turnover both as
	composition taxpayer as well as normal taxpayer. Therefore, the turnover for
	which GST was paid under the composition scheme shall be declared here.
5M	There may be cases where the taxable value and the invoice value differ due to
	valuation principles under section 15 of the CGST Act, 2017 and rules
	thereunder. Therefore, any difference between the turnover reported in the
	Annual Return (GSTR 9) and turnover reported in the audited Annual
	Financial Statement due to difference in valuation of supplies shall be declared
ENI	here. Any difference between the turnover reported in the Annual Return (GSTR9)
5N	and turnover reported in the audited Annual Financial Statement due to
	foreign exchange fluctuations shall be declared here.
5O	Any difference between the turnover reported in the Annual Return (GSTR9)
	and turnover reported in the audited Annual Financial Statement due to
	reasons not listed above shall be declared here.
5Q	Annual turnover as declared in the Annual Return (GSTR 9) shall be declared
	here. This turnover may be derived from Sr. No. 5N, 10 and 11 of Annual
	Return (GSTR 9).
6	Reasons for non-reconciliation between the annual turnover declared in the
	audited Annual Financial Statement and turnover as declared in the Annual
	Return (GSTR 9) shall be specified here.
7	The table provides for reconciliation of taxable turnover from the audited
	annual turnover after adjustments with the taxable turnover declared in annual
	return (GSTR-9).
7A	Annual turnover as derived in Table 5P above would be auto-populated here.
7B	Value of exempted, nil rated, non-GST and no-supply turnover shall be
	declared here. This shall be reported net of credit notes, debit notes and
7C	amendments if any. Value of zero reted surplies (including surplies to SEZs) on which toy is not
	Value of zero rated supplies (including supplies to SEZs) on which tax is not
	paid shall be declared here. This shall be reported net of credit notes, debit notes and amendments if any.
7D	Value of reverse charge supplies on which tax is to be paid by the recipient
, 13	shall be declared here. This shall be reported net of credit notes, debit notes
	and amendments if any.
7E	The taxable turnover is derived as the difference between the annual turnover
,	The tandere turnover is derived as the difference between the ainitial turnover

	after adjustments declared in Table 7A above and the sum of all supplies (exempted, non-GST, reverse charge etc.) declared in Table 7B, 7C and 7D above.
7F	Taxable turnover as declared in Table 4N of the Annual Return (GSTR9) shall be declared here.
8	Reasons for non-reconciliation between adjusted annual taxable turnover as derived from Table 7E above and the taxable turnover declared in Table 7F shall be specified here.

5. Part III consists of reconciliation of the tax payable as per declaration in the reconciliation statement and the actual tax paid as declared in Annual Return (GSTR9). The instructions to fill this part are as follows:-

Table No.	Instructions
9	The table provides for reconciliation of tax paid as per reconciliation statement
	and amount of tax paid as declared in Annual Return (GSTR 9). Under the
†	head labelled "RC", supplies where tax was paid on reverse charge basis by
	the recipient (i.e. the person for whom reconciliation statement has been
	prepared) shall be declared.
9P	The total amount to be paid as per liability declared in Table 9A to 9O is auto
	populated here.
9Q	The amount payable as declared in Table 9 of the Annual Return (GSTR9)
	shall be declared here. It should also contain any differential tax paid on Table
<u> </u>	10 or 11 of the Annual Return (GSTR9).
10	Reasons for non-reconciliation between payable / liability declared in Table
	9P above andthe amount payable in Table 9Q shall be specified here.
11	Any amount which is payable due to reasons specified under Table 6, 8 and 10
	above shall be declared here.

6. Part IV consists of reconciliation of Input Tax Credit (ITC). The instructions to fill Part IV are as under:-

Table No.	Instructions
12A	ITC availed (after reversals) as per the audited Annual Financial Statement shall be declared here. There may be cases where multiple GSTINs (Statewise) registrations exist on the same PAN. This is common for persons / entities with presence over multiple States. Such persons / entities, will have to internally derive their ITC for each individual GSTIN and declare the same here. It may be noted that reference to audited Annual Financial Statement includes reference to books of accounts in case of persons / entities having presence over multiple States.
12B	Any ITC which was booked in the audited Annual Financial Statement of earlier financial year(s)but availed in the ITC ledger in the financial yearfor which the reconciliation statement is being filed for shall be declared here. This shall include transitional credit which was booked in earlier years but availed duringFinancial Year 2017-18.
12C	Any ITC which has been booked in the audited Annual Financial Statement of

	the current financial year but the same has not been credited to the ITC ledger
	for the said financial yearshall be declared here.
12D	ITC availed as per audited Annual Financial Statement or books of accounts
1217	as derived from values declared in Table 12A, 12B and 12C above will be
	auto-populated here.
12E	Net ITC available for utilization as declared in Table 7J of Annual Return
122	(GSTR9) shall be declared here.
13	Reasons for non-reconciliation of ITC as per audited Annual Financial
	Statement or books of account (Table 12D) and the net ITC (Table12E)
	availed in the Annual Return (GSTR9) shall be specified here.
14	This table is for reconciliation of ITC declared in the Annual Return (GSTR9)
	against the expenses booked in the audited Annual Financial Statement or
	books of account. The various sub-heads specified under this table are general
	expenses in the audited Annual Financial Statement or books of account on
	which ITC may or may not be available. Further, this is only an indicative list
	of heads under which expenses are generally booked. Taxpayers may add or
	delete any of these heads but all heads of expenses on which GST has been
•	paid / was payable are to be declared here.
14R	Total ITC declared in Table 14A to 14Q above shall be auto populated here.
14S	Net ITC availed as declared in the Annual Return (GSTR9) shall be declared
	here. Table 7J of the Annual Return (GSTR9) may be used for filing this
	Table.
15	Reasons for non-reconciliation between ITC availed on the various expenses
	declared in Table 14R and ITC declared in Table 14S shall be specified here.
16	Any amount which is payable due to reasons specified in Table 13 and 15
	above shall be declared here.

- 7. Part V consists of the auditor's recommendation on the additional liability to be discharged by the taxpayer due to non-reconciliation of turnover or non-reconciliation of input tax credit. The auditor shall also recommend if there is any other amount to be paid for supplies not included in the Annual Return. Any refund which has been erroneously taken and shall be paid back to the Government shall also be declared in this table. Lastly, any other outstanding demands which is recommended to be settled by the auditor shall be declared in this Table.
- 8. Towards, the end of the reconciliation statement taxpayers shall be given an option to pay their taxes as recommended by the auditor.

PART - B- CERTIFICATION

I. Certification in cases where the reconciliation statement (FORM GSTR-9C) is drawn up by the person who had conducted the audit:

* I/we have examined the—
(a) balance sheet as on
(b) the *profit and loss account/income and expenditure account for the period beginning
fromto ending on, and
(c) the cash flow statement for the period beginning fromto ending on, -
attached herewith, of M/s (Name), (Address)
(GSTIN).

2. Based on our audit I/we report that the said registered person—
*has maintained the books of accounts, records and documents as required by the
AGST/CGST/MPGST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder
*has not maintained the following accounts/records/documents as required by the
IGST/CGST/ MPGST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder:
2.
3.
3. (a) *I/we report the following observations/ comments / discrepancies / inconsistencies; if
any:
3. (b) *I/we further report that, -
(A) *I/we have obtained all the information and explanations which, to the best of *my/our
knowledge and belief, were necessary for the purpose of the audit/ information and
explanations which, to the best of *my/our knowledge and belief, were necessary for the
purpose of the audit were not provided/partially provided to us.
(B) In *my/our opinion, proper books of account *have/have not been kept by the registered
person so far as appears from*my/ our examination of the books.
(C) I/we certify that the balance sheet, the *profit and loss/income and expenditure account
and the cash flow Statement are *in agreement/not in agreement with the books of account
maintained at the Principal place of business atand **
additional place of business within the State.
4. The documents required to be furnished under section 35 (5) of the CGST Act and
Reconciliation Statement required to be furnished under section 44(2) of the CGST Act is
annexed herewith in Form No. GSTR-9C.
5. In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to explanations
given to *me/us, the particulars given in the said Form No.GSTR-9C are true and correct
subject to following observations/qualifications, if any:
(a)
(b)
(c)
•••••••••••••••••••••••••••••
**(Signature and stamp/Seal of the Auditor)
Place:
Name of the signatory
Membership No
Date:
Full address
II. Certification in cases where the reconciliation statement (FORM GSTR-9C) is drawn
up by a person other than the person who had conducted the audit of the accounts:
*I/we report that the audit of the books of accounts and the financial statements of M/s.
(Name and address of the assessee with GSTIN) was
conducted by M/s
of auditor along with status), bearing membership number in pursuance of the provisions of
he
along with a copy of each of :-
a) balance sheet as on
(b) the *profit and loss account/income and expenditure account for the period beginning
fromto ending on,
c) the cash flow statement for the period beginning fromto ending on, and
d) documents declared by the said Act to be part of, or annexed to, the *profit and loss
a) documents decided by the said Act to be part of the anticact to, the profit and loss

2. I/we report that the said registered person—					
*has maintained the books of accounts, records	and docum	ients as rec	quired by th	ne	
IGST/CGST/ MPGST Act, 2017 and the rules/r	notification	s made/iss	ued thereur	nder	
*has not maintained the following accounts/reco	ords/docum	nents as re	quired by th	ne	
IGST/CGST/ MPGST Act, 2017 and the rules/r	otification	s made/iss	ued thereur	ider:	:
1.	:	•			
2.			ů.		
3.					
3. The documents required to be furnished	under sect	ion 35 (5) of the C	GST A	ct and
Reconciliation Statement required to be furnis	shed under	section 4	4(2) of the	CGST	Act is
annexed herewith in Form No.GSTR-9C.				v	
4. In *my/our opinion and to the best of *my/ou	ır informati	ion and ac	cording to e	examina	ition of
books of account including other relevant docu	uments and	l explanati	ions given	to *me/	us, the
particulars given in the said Form No.9C at	re true and	d correct	subject to	the fol	lowing
observations/qualifications, if any:		,			
(a)				•••	
(a) (b)				•••	
(c)					
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••	
			•	· • • ·	:
**(Signature and stamp/Seal of the Auditor)	•			•••	: '
Place:				•••	: '
Place: Name of the signatory	•			•••	
Place: Name of the signatory Membership No				···	
Place:				•••	
Place: Name of the signatory Membership No				····	

2. This notification shall deemed to have come into force w.e.f. 13th of September, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ARUN PARMAR, Dy. Secy.